भीम BhIM

राजस्थान सरकार

निदेशालय राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक–एफ–11(60)/RGHS/सतर्कता/नियम/2022–23/1784 दिनांक – 23/12/2022

–– परिपत्र –– 9

राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में राजकीय एवं योजना में अनुमोदित निजी अस्पतालों, सहकारी दवा भण्डारों, योजना में अनुमोदित निजी दवा दुकानों/फार्मेसी स्टोर्स एवं आरजीएचएस लाभार्थी – सेवारत कार्मिक एवं पेंशनर लाभार्थियों के द्वारा अनियमित/नियम विरुद्ध अनुचित लाभ प्राप्त करने के मामले आरजीएचएस कार्यालय की जानकारी में आ रहे हैं, जिससे राजकोष को सदोष हानि कारित की जा रही है और योजना का व्यय बढने से राज्य सरकार पर वित्तीय भार बढ रहा है। इसकी रोकथाम के लिए निम्नलिखितानुसार कार्रवाई की जावेगी :–

आरजीएचएस में अनुमोदित निजी अस्पतालों द्वारा नियम विरुद्ध कार्यों के सम्बन्ध में

अनियमितता की प्रकृति	आरजीएचएस द्वारा प्रथम कार्रवाई	द्वितीय कार्रवाई
अनुमोदित निजी चिकित्सालय द्वारा लाभार्थी से अनुचित रूप से नकद या एडवांस के रूप में राशि प्राप्त करना।	मूल बिल और/ या प्राप्ति के आधार पर लाभार्थी को पूर्ण राशि मय 18% ब्याज रिफण्ड करने तथा RGHS को अनुचित प्राप्ति का तीन गुना नुकसान भरपाई करना।	1. निलम्बन/ ट्रांजेक्शन मैनेजमेन्ट सिस्टम बन्द (TMS Stop) 2. नियमानुसार De-empanel की कार्रवाई करना
अनुमोदित निजी चिकित्सालय द्वारा बिना दवा/उपचार के कूट रचित बिल प्रस्तुत करना	ऐसे दावों को अस्वीकृत करना /भुगतान कर दिये जाने की स्थिति में सम्पूर्ण राशि मय 18 प्रतिशत ब्याज के वसूली एवं बिना दवा/उपचार के प्रस्तुत दावों की तीन गुना राशि की RGHSद्वारा वसूली।	1- निलम्बन/ ट्रांजेक्शन मैनेजमेन्ट सिस्टम बन्द (TMS Stop) 2. नियमानुसार De-empanel की कार्रवाई करना 3. भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अन्तर्गत आपराधिक कृत्य के लिए विधिक कार्रवाई
Up-coding of packages and/or package unbundling, unnecessary procedures RCSMA, 2013में सूचीब द्ध नहीं है	ऐसे दावों को अस्वीकृत करना, Up-coding of packages and/or package unbundling, unnecessary procedures,वस्तुए जो RCSMA, 2013में सूचीबद्ध नहीं है, उनके लिए अस्पताल द्वारा किये गये दावों की राशि प्राप्त करने पर उस दावा राशि के 3 गुना राशि की आरजीएचएस द्वारा वसूली।	1. निलम्बन/ ट्रांजेक्शन मैनेजमेन्ट सिस्टम बन्द (TMS Stop) 2. नियमानुसार De-empanel की कार्रवाई करना
आरजीएचएस की गुणवत्ता एवं सेवा मानकों का पालन नहीं करना	मामूली सुधारों के लिए 14 दिवस की चेतावनी	निलम्बन/ ट्रांजेक्शन मैनेजमेन्ट सिस्टम बन्द (TMS Stop)

आरजीएचएस में अनुमोदित निजी दवा दुकानों/ फार्मा स्टोर्स द्वारा नियम विरूद्ध कार्यों के सम्बन्ध में।

अनियमितता की प्रकृति	आरजीएचएस द्वारा प्रथम कार्रवाई	द्वितीय कार्रवाई
अनुमोदित निजी फार्मा स्टोर द्वारा लाभार्थी से अनुचित रूप से नकद या एडवांस के रूप में राशि प्राप्त करना।	दावे को निरस्त करना एवं दवाई के मूल्य से अधिक मूल्य के बनाये गये बिल की राशि के दुगुने के बराबर राशि और उस पर 18% ब्याज की आरजीएचएस द्वारा वसूली।	1. निलम्बन/ ट्रांजेक्शन मैनेजमेन्ट सिस्टम बन्द (TMS Stop) 2. नियमानुसार De-empanel की कार्रवाई करना
अनुमोदित निजी फार्मा स्टोर द्वारा बिना दवा/ उपचार के कूट रचित बिल प्रस्तुत करना।	दावे को निरस्त करना एवं दवाई के मूल्य से अधिक मूल्य के बनाये गये बिल की राशि के दुगुने के बराबर राशि और उस पर 18% ब्याज की आरजीएचएस द्वारा वसूली।	1. निलम्बन/ ट्रांजेक्शन मैनेजमेन्ट सिस्टम बन्द (TMS Stop) 2. नियमानुसार De-empanel की कार्रवाई करना
आरजीएचएस लाभार्थी से सांठ–गांठ कर अनुचित लाभ प्राप्त करना एवं दवाईयों के बदले अन्य वस्तुएं देना या non-payable items के बिल बनाना।	दावे को निरस्त करना एवं बिल के मूल्य से तीन गुनी राशि और उस पर 18% ब्याज की आरजीएचएस द्वारा वसूली।	1. निलम्बन/ ट्रांजेक्शन मैनेजमेन्ट सिस्टम बन्द (TMS Stop) 2. नियमानुसार De-empanel की कार्रवाई करना 3. आरजीएचएस लाभार्थी एवं दावाकर्ता के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 191, 405, 406, 420, 467 और 170 बी के अन्तर्गत विधिक कार्रवाई
आरजीएचएस की गुणवत्ता एवं सेवा मानकों का पालन नहीं करना	मामूली सुधारों के लिए 14 दिवस की चेतावनी।	निलम्बन/ ट्रांजेक्शन मैनेजमेन्ट सिस्टम बन्द(TMS Stop)

आरजीएचएस लाभार्थी/ कार्डधारक (सेवारत कार्मिक एवं पेंशनर्स) द्वारा नियम विरुद्ध कार्यों के सम्बन्ध में।

अनियमितता की प्रकृति	आरजीएचएस द्वारा प्रथम कार्रवाई	द्वितीय कार्रवाई
सेवारत कार्मिक (राजकीय एवं स्वायत्तशासी संस्थान दोनों)/ एवं अन्य श्रेणी के लाभार्थी द्वारा आरजीएचएस कार्ड का अनियमित उपयोग/ अस्पताल या फार्मा स्टोर से सांठ–गांठ कर अनुचित लाभ प्राप्त करना एवं फार्मा स्टोर से दवाईयों के बदले घरेलू या खाद्य या अन्य वस्तुएं प्राप्त करना	1. अनियमित/ नियम विरूद्ध प्राप्त किये गये लाभ की राशि की 18 प्रतिशत ब्याज समेत वसूली 2. आरजीएचएस कार्ड का अस्थायी निलम्बन 3. कार्मिक के नियोक्ता विभाग को अनुशासनात्मक कार्रवाई नियमों के अन्तर्गत	भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 191, 405, 406, 467, 470 और 170 बी के अन्तर्गत विधिक कार्रवाई

अपात्र सदस्य को आश्रित श्रेणी में शामिल करना	1. दावों को अस्वीकृत करना, कार्डधारक द्वारा अपात्र सदस्य के ईलाज के लिए प्राप्त किये गये लाभ की तीन गुना राशि की वसूली मय 18% ब्याज कार्डधारक से करना, 2. आरजीएचएस कार्ड का अस्थायी निलम्बन 3. कार्मिक के नियोक्ता विभाग को अनुशासनात्मक कार्रवाई नियमों के अन्तर्गत हेतु प्रस्ताव	भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 191, 405, 406, 467, 470 और 170 बी के अन्तर्गत विधिक कार्रवाई
पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर्स (आरसीएस नियम, 1996 में शासित एवं स्वायत्तशासी संस्थान के) द्वारा कार्ड का अनियमित उपयोग/अनाधिकृत उपयोग	1. वित्त (नियम) विभाग के मेमोरेंडम दिनांक 05.04.2021 के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु वंचित किया जावेगा 2. आरजीएचएस कार्ड का अस्थायी निलम्बन	भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 191, 192, 405, 406, 420, 467 और 170 बी के अन्तर्गत विधिक कार्रवाई

यह सभी दण्ड़ अनुशंसात्मक है, एवं RGHS प्रकरण की तीव्रता/निरंतरता/ पैमाना/वैचारिकता के आधार पर दण्ड़ को कम या ज्यादा कर लागू कर सकता है। जांच पश्चात् सक्षम स्तर से प्रत्यक्ष अथवा अनुशंसा पर अपराध की गंभीरता के आधार पर अस्पताल, फार्मा स्टोर के डी–पैनल और आरजीएचएस लाभार्थी कार्ड के निलम्बन की प्रत्यक्ष कार्रवाई अथवा भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अन्तर्गत विधिक कार्रवाई ।

उक्त प्रावधान/ दिशा–निर्देश केवल सूचक/परिचायक प्रकृति के हैं तथा आवश्यक होने पर हुआ तो किसी भी परिवर्तन/ परिवर्द्धन अथवा संशोधन का अधिकार आरजीएचएस के पास सुरक्षित है।

आरजीएचएस के तहत आरजीएचएस लाभार्थी, फार्मा स्टोर अथवा अस्पताल द्वारा अनियमितता करने पर उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारिता निम्नानुसार है:

1. आरजीएचएस के अन्तर्गत सेवा प्रदाता अस्पताल एवं दवा आपूर्तिकर्ता फार्मा स्टोर से आरजीएचएस नियम, दिशा–निर्देश/परिपत्र/आदेशानुसार सेवाएं प्रदान करने/दवा आपूर्ति करने एवं तद्नुसार पुनर्भरण दावा प्रस्तुत करने का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।
2. आरजीएचएस में अनुमोदित निजी अस्पताल, निजी फार्मा स्टोर एवं आरजीएचएस कार्डधारक के दोषी पाये जाने पर परियोजना निदेशक, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना को उक्तानुसार त्वरित कार्रवाई के लिए अधिकृत किया जाता है।

3. परियोजना निदेशक के निर्णय के विरुद्ध निम्नलिखित स्तर पर आगे सुनवाई की जा सकेगी:

सुनवाई का स्तर	निजी अस्पताल	निजी फार्मा स्टोर	आरजीएचएस लाभार्थी कार्डधारक
निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग	प्रथम	प्रथम	प्रथम
शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग	द्वितीय	द्वितीय	द्वितीय

4. अस्पताल द्वारा उपलब्ध करायी गई इनडोर सुविधाओं के लिए बायोमीट्रिक पहचान एवं डिस्चार्ज फोटोग्राफ की कार्रवाई आवश्यक है।

5. फार्मास्टोर की बैंक गारण्टी की अवधि समाप्त होने पर अनुमोदन नवीनीकरण के समय आरजीएचएस नियमों के अनुसार कार्य करने का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्तानुसार प्रस्तावित कार्रवाई, शास्ति वित्त विभाग की आईडी कमांक 322200429 दिनांक 9.12.2022 द्वारा अनुमोदित है।

(कल्पना अग्रवाल)
निदेशक
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग

क्रमांक–एफ–11(60)/RGHS/सतर्कता/नियम/2022–23/1785-98 दिनांक – 23/12/2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु –

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. वरिष्ठ उप सचिव मुख्य सचिव राजस्थान।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव/
5. प्रधान महालेखाकार राजस्थान जयपुर।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
7. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
8. निजी सचिव, निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर।
9. निदेशक, कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर।
10. विधि रचना संगठन, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
11. समस्त कोषाधिकारी /उपकोषाधिकारी
12. समस्त राजकीय एवं अनुमोदित चिकित्सालय राजस्थान ,जयपुर।
13. समस्त अनुमोदित फार्मा स्टोर/कॉनफेड राजस्थान, जयपुर।
14. रक्षित पत्रावली।

(शिप्रा विक्रम)
परियोजना निदेशक
आर.जी.एच.एस वित्त भवन,जयपुर